रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 2, 2007/माघ 13, 1928
No. 47] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 2, 2007/MAGHA 13, 1928

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 61(अ).—पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) की धारा 4, 5, 14, 21, 22 और धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा पेट्रोलियम नियमावली, 2002 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है नामत: :—

1. (1) इन नियमों को पेट्रोलियम (संशोधन) नियमावली, 2007 कहा जाए ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पेट्रोलियम नियमावली, 2002 में नियम 43 के बाद निम्नलिखित सन्निविष्ट किया जाएगा अर्थात् —

"43क. पोत भंजन करने वाली ऐजेंसी विशेषत: उत्तरदायी भंजन अथवा किनारे पर लगाने के अभिप्रेत से पोतों की स्वामिनी ऐजेंसी, ऐसे पोतों के भेजने का कार्य करने से पहले जिसे पोत भंजन कहा जाता है, यह देखने के लिए उत्तरदायी होगी कि :—

(क) पेट्रोलियम अथवा पेट्रोलियम वाष्प के प्रज्वलन के कारण दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी समुचित सावधानियां बरती जाएं,

(ख) जब तक किसी टैंक में पेट्रोलियम वाष्प रहे, गैस निकासी लाइन के अलावा टैंक से वातावरण की ओर खुलने वाले सभी छिद्र बंद रखे जाएं और उन पर ताला लगाया जाए अथवा किसी अन्य प्रकार से सुरक्षापूर्वक बांधा जाए, और धारा (ग) के उपबंधों के अध्यधीन पोत भंजन क्रियाकलापों को निष्पादित करने वाली एजेंसी, टैंकों की सफाई के लिए अथवा टैंक को पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त करने के लिए अथवा अन्य पर्याप्त कारण से, साफ करने के लिए आवश्यक छिद्र खोल अथवा ताला मुक्त करा सकती है ।

(ग) कोई भी व्यक्ति मुख्य नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्रकार का श्वसन उपकरण पहने बिना तब तक किसी टैंक अथवा ऐसी किसी बंद जगह में प्रवेश न करे जिसमें पेट्रोलियम था अथवा पेट्रोलियम होने का संदेह है, जब तक इस कार्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी किसी अनुमोदित पेट्रोलियम वाष्प-परीक्षणयंत्र की सहायता से टैंक अथवा जगह की जांच न कर ले और लिखित में अधिप्रमाणित न कर दे कि उक्त टैंक अथवा जगह पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त है ।

(घ) पोत तब तक अपने किसी टैंक, जुड़नारों के भाग जिनमें पेट्रोलियम वाष्प या पेट्रोलियम होने की संभावना हो, पर हाटवर्क से भंजन कार्य न करे जब तक प्रत्येक ऐसा टैंक, जुड़नार का भाग जो भी स्थिति हो, किसी अनुमोदित पेट्रोलियम वाष्प-परीक्षण यंत्र की सहायता से खण्ड (ग) के अंतर्गत नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जांच से न गुजरा हो और लिखित में उसके द्वारा अधिप्रमाणित न किया गया हो कि टैंक, जुड़नारों का भाग पेट्रोलियम वाष्प अथवा पेट्रोलियम से मुक्त है ।

(ड.) पोत को तब तक पोत भंजन यार्ड में न ले जाया जाए जब तक खण्ड (ग) के तहत नियुक्त किसी अधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र न दिया गया हो कि सभी टैंकों, काफर डैम्स, पम्प रूम्स और अन्य आवश्यक समझे गये भागों की जांच किसी अनुमोदित पेट्रोलियम वाष्प जांच यंत्र की सहायता से कर ली गई है, और यह कि ऐसे टैंक, काफर डैम्स, पम्प रूम और अन्य भाग पेट्रोलियम वाष्प से मुक्त हैं और पोत भंजन करने वाली ऐजेंसी से यह घोषणा न की गई हो कि उनके सर्वोत्तम संज्ञान में कोई पेट्रोलियम वाष्प पोत के अन्य भागों में, जो उपयुक्त प्रमाणपत्र में शामिल नहीं किए गए हैं, उपस्थित नहीं है ।

(च) खण्ड (ग) अथवा खण्ड (घ) अथवा खण्ड (ड.) के अंतर्गत प्रमाणपत्र देने वाले अधिकारी ऐसी परिस्थितियों का उल्लेख करें और ऐसी सिफारिश करे जो टैंकों, जगह अथवा अधिप्रमाणित भागों को गैस से मुक्त रखने के लिए आवश्यक है ।

(छ) खण्ड (ग), (घ) और (ड.) में संदर्भित प्रमाणपत्र समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क की प्राप्ति पर ही प्रदान किया जाएगा ।

टिप्पणी :—संबंधित पत्तन प्राधिकारी खण्ड (ग), (घ) और (ड.) के प्रयोजनार्थ अंतिम अनुमति के मामले में प्राधिकारी होगा भले ही गैस मुक्त प्रमाण-पत्र इस नियम के खण्ड (ग) के अंतर्गत संबंधित अधिकारी से प्राप्त किए गए हों ।

[फा. सं. पी-38022/6/2004-वितरण]

डी. एन. नरसिम्हा राजू, संयुक्त सचिव

नोट :—मूल नियम दिनांक 13-3-2002 की अधिसूचना सा. का. नि. 204(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2007

G. S. R. 61 (E).— In exercise of the powers conferred by Sections 4, 5, 14, 21, 22 and sub-section (1) of Section 29 of the Petroleum Act, 1934 (30 of 1934), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Petroleum Rules, 2002, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Petroleum (Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum Rules, 2002, after rule 43, the following shall be inserted, namely :—

"43A. Agency undertaking ship breaking specially responsible.— The Agency, which owns vessels meant for breaking or beaching, before undertaking breaking of such vessels, called ship breaking, shall be responsible to see that—

(a) all due precautions are taken for the prevention of accidents due to ignition of petroleum or petroleum vapour;

(b) so long as there is petroleum vapour in a tank, all openings from the tank to the atmosphere except the gas escape line are kept closed and locked or otherwise securely fastened; and subject the provisions of clause (c), the agency undertaking the ship breaking activities may cause the necessary openings to be opened or unlocked for cleaning the tanks or for making the tank free from petroleum vapour or for other sufficient reason;

(c) no person enters a tank or an enclosed space which had, or is suspected to have contained petroleum without wearing a breathing apparatus of a type approved by the Chief Controller unless an officer appointed by the Central Government in this behalf has examined the tank or space with the aid of an approved petroleum vapour-testing instrument and has been certified by him in writing that the said

tank or space is free from petroleum vapour.

(d) the vessel does not undergo breaking by hot work to any of its tanks, part of fittings which are likely to contain petroleum vapour or petroleum unless each such tank, part of fittings, as the case may be, has been examined by an officer appointed under clause (c) with the aid of an approved petroleum vapour-test instrument and has been certified by him in writing that the tank, part of fittings are free from petroleum vapour or petroleum;

(e) the vessel is not taken to ship breaking yard unless a certificate from an officer appointed under clause (c); to the effect that he has examined all the tanks, cofferdams, pump rooms and such other parts as are deemed necessary with the aid of an approved petroleum vapour-testing instrument, and that such tanks, cofferdams, pump room and other parts are free from petroleum vapour; and declaration from the agency undertaking the ship breaking activities that to the best of its knowledge there is no petroleum vapour, present in other parts of the vessel not covered by the above certificate are produced;

(f) the officer granting certificate under clause (c) or clause (d) or clause (e) may specify such conditions and make such recommendations as are necessary to maintain gas free conditions of tanks, space or parts certified;

(g) the certificate referred to in clauses (c), (d) and (e) shall be granted only on receipt of fee fixed by Central Government from time to time.

Note: The port authority concerned shall be the authority for the issue of final permission for the purpose of clauses (c), (d) and (e) even though Gas Free Certificates have been obtained from the officer concerned under clause (c) of this rule.".

[F. No. P-38022/6/2004-Dist.]

D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy.

Note: The Principal rules was published in Gazette of India *vide* notification G.S.R. 204(E) dated 13-3-2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.